भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1754

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत लाभार्थियों के चिह्निकरण हेतु सर्वेक्षण

†1754. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सम्पूर्ण देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2014 से मार्च, 2024 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों के चिह्निकरण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि के संबंध में आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 के पश्चात् सम्पूर्ण देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शहरी आजीविका केन्द्र (सीएलसी) स्थापित हुए हैं; और

(ग) सम्पूर्ण देश में कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शहरी गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): यह उल्लेखनीय है कि 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

डीएवाई-एनयूएलएम मिशन दस्तावेज के अनुसार, डीएवाई-एनयूएलएम का लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के रूप में

पहचानी गई शहरी आबादी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि जैसे वंचित समूहों के परिवारों को शामिल करने के लिए कवरेज को व्यापक बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वे उपर्युक्त शहरी गरीब आबादी का अधिकतम 25 प्रतिशत हों। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करते रहे हैं।

(ख): दिनांक 20.11.2024 तक, देश भर में 2014 के बाद कुल 101 शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) स्थापित किए गए हैं। इन सीएलसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): दिनांक 20.11.2024 तक कुल 15,44,361 शहरी गरीबों को डीएवाई-एनयूएलएम के ईएसटीएंडपी घटक के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। कौशल प्रशिक्षित शहरी गरीबों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

******

अनुलग्नक-I

"डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थियों के चिह्नितकरण हेतु सर्वेक्षण" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014 के बाद स्थापित सीएलसी के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**स्थापित सी.एल.सी. की संख्या (20.11.2024 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	40
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	गुजरात	11
4	कर्नाटक	1
5	केरल	4
6	मध्य प्रदेश	2
7	महाराष्ट्र	17
8	मेघालय	1
9	राजस्थान	16
10	तेलंगाना	2
11	त्रिपुरा	1
12	उत्तर प्रदेश	2
13	उत्तराखंड	1
	कुल	**101**

अनुलग्नक-II

"डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थियों के चिह्नितकरण हेतु सर्वेक्षण" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

डीएवाई-एनयूएलएम के ईएसटीएंडपी घटक के अंतर्गत 01.04.2014 से 20.11.2024 तक कौशल प्रशिक्षित शहरी गरीबों की संख्या के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या (20.11.2024 तक)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	143
2	आंध्र प्रदेश	82546
3	अरुणाचल प्रदेश	4475
4	असम	34905
5	बिहार	37351
6	चंडीगढ़	7188
7	छतीसगढ़	41778
8	गोवा	6605
9	गुजरात	107017
10	हरियाणा	34136
11	हिमाचल प्रदेश	7102
12	जम्मू और कश्मीर	5264
13	झारखंड	110660
14	कर्नाटक	22315
15	केरल	22367
16	लद्दाख	0
17	मध्य प्रदेश	261108
18	महाराष्ट्र	201280
19	मणिपुर	10734
20	मेघालय	2600
21	मिजोरम	10733
22	नागालैंड	582
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1921
24	ओडिशा	17026

25	पुदुचेरी	3194
26	पंजाब	74366
27	राजस्थान	51887
28	सिक्किम	3294
29	तमिलनाडु	50744
30	तेलंगाना	24484
31	त्रिपुरा	2146
32	उत्तर प्रदेश	220113
33	उत्तराखंड	20432
34	पश्चिम बंगाल	63865
	कुल	**15,44,361**